तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 6281/ 2005 / नागौर** **राजस्थान सरकार बनाम जयराम आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-12-24	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड, उप राजकीय अभिभाषक । श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक अप्रार्थीगण —— **आदेश** यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 16–11–05 से राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है। रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार जायल ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर जिला कलेक्टर नागौर को प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी नागौर द्वारा ग्राम धीजपुरा तहसील जायल के खसरा नंबर 1880 रकबा 48.15 बीघा में से 2 बीघा भूमि का जारी संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11–1–93 एवं नामांतरकरण सं. 50 ग्राम धीजपुरा को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस अपने निर्णय दिनांक 16–11–2005 से स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस अपने निर्णय व अभिशंषा से राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा धीजपुरा के खसरा नंबर 1880 रकबा 46–15 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2053–56 में जयराम, श्रीराम पि. चन्द्राराम 1/2 व लादूराम पुत्र गोरधन 1/2 की खातेदारी में दर्ज है। सर्मपण पत्र दिनांक 5–9–90 के जरिए उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि जयराम व श्रीराम ने औद्योगिक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दी जिस पर दिनांक 26–9–90 को राज्य सरकार के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 31 स्वीकृत हुआ। उपखण्ड अधिकारी नागौर के आदेश संख्या 103–06 दिनांक 11–1–93 के द्वारा समर्पित की गई इस 2 बीघा भूमि मैसर्स जयशंकर रोड़ी उद्योग स्टोन क्रेशर फैक्ट्री हेतु अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में संपरिवर्तन कर दिया जो विधि विरूद्ध व अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1959 के नियम 11 के तहत जिला कलक्टर द्वारा ही संभव है अतः रेफरेंस स्वीकार किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 6281/ 2005 / नागौर** **राजस्थान सरकार बनाम जयराम आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कहा कि हेमाराम जयशंकर रोडी उद्योग क्रेशर फैक्ट्री में जयराम का हिस्सेदार होने के कारण रूपान्तरण आदेश हेमाराम के नाम जारी हुआ व हेमाराम 50 प्रतिशत का हिस्सेदार है। जयराम स्वयं अपने व हिस्सेदार हेमाराम के नाम से एक खनन पट्टा एमएल 320/97 दिनांक 14–4–98 को 20 वर्ष हेतु स्वीकृत करवाया तथा 2 बीघा भूमि को उद्योग प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवा कर संपरिवर्तन करवा लिया था। वाणिज्य कर अधिकारी नागौर द्वारा उक्त फर्म जयशंकर रोडी उद्योग धीजपुरा का जयराम, हेमाराम व जयराम का पुत्र रामनिवास के नाम दिनांक 19–7–95 को रजिस्ट्रेशन भी हुआ है इसलिए फर्म हिस्सेदारी होने के कारण एक हिस्सेदार द्वारा अपनी भूमि समर्पित कर रूपान्तरित करवाने का अधिकार है। वादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि नहीं थी बल्कि जयराम की खातेदारी की भूमि थी जिसका राजकीय नियमों के अनुरूप निश्चित शुल्क अदा कर रूपान्तरण करवाया गया था इसलिए रेफरेन्स नहीं बनता है। अतः प्रस्तुत रेफरेंस विधि अनुसार पेश नहीं होने से पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में रेफरेंस चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि मौजा धीजपुरा के खसरा नंबर 1880 रकबा 46–15 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2053–56 में जयराम, श्रीराम पि. चन्द्राराम 1/2 व लादूराम पुत्र गोरधन 1/2 की खातेदारी में दर्ज थी। सर्मपण पत्र दिनांक 5–9–90 के जरिए उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि जयराम व श्रीराम ने औद्योगिक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दी जिस पर दिनांक 26–9–90 को राज्य सरकार के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 31 स्वीकृत हुआ। उपखण्ड अधिकारी नागौर के आदेश संख्या 103–06 दिनांक 11–1–93 के द्वारा समर्पित की गई इस 2 बीघा भूमि मैसर्स जयशंकर रोड़ी उद्योग स्टोन क्रेशर फैक्ट्री हेतु अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में संपरिवर्तन कर दिया। रेफरेंस प्रस्तुत करने का मुख्य तर्क यह लिया गया है कि विवादित आराजी संपरिवर्तन करते समय हेमाराम की खातेदारी में नहीं थी। इस संबंध में इस एकल पीठ की विनम्र राय में हेमाराम जयशंकर रोडी उद्योग क्रेशर फैक्ट्री में 50 प्रतिशत का हिस्सेदार होने के कारण रूपान्तरण आदेश हेमाराम के नाम जारी हुआ। जयराम स्वयं अपने व हिस्सेदार हेमाराम के नाम से एक खनन पट्टा एमएल 320/97 दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 6281/ 2005 / नागौर** **राजस्थान सरकार बनाम जयराम आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14–4–98 को 20 वर्ष हेतु स्वीकृत करवाया तथा 2 बीघा भूमि को उद्योग प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवा कर संपरिवर्तन करवा लिया था। वाणिज्य कर अधिकारी नागौर द्वारा उक्त फर्म जयशंकर रोडी उद्योग धीजपुरा का जयराम, हेमाराम व जयराम का पुत्र रामनिवास के नाम दिनांक 19–7–95 को रजिस्ट्रेशन भी हुआ है इसलिए फर्म हिस्सेदारी होने के कारण एक हिस्सेदार द्वारा अपनी भूमि समर्पित कर रूपान्तरित करवाने का अधिकार है। वादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि नहीं थी बल्कि जयराम की खातेदारी की भूमि थी जिसका राजकीय नियमों के अनुरूप निश्चित शुल्क अदा कर रूपान्तरण करवाया गया था इसलिए रेफरेन्स नहीं बनता है। वादग्रस्त भूमि का जयराम पूर्व से ही खातेदार होने के कारण उसके नाम पुनः नामांतकरण स्वीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं होने से एवं हेमाराम इस फर्म में हिस्सेदार होने से हेमाराम के नाम नामांतरकरण सही रूप से तस्दीक किया गया। इसके अतिरिक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र संपरिवर्तन आदेश के लम्बे समय पश्चात् पेश किया गया। नियमों के अनुरूप किये गये रूपांतरण को निरस्त कराने हेतु राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रेफरेंस प्रस्तुत किया जाता सकता है। मूल खातेदार द्वारा भूमि संपरिवर्तन कराने हेतु समर्पित की है। विवादित आराजी सिवायचक समर्पित करने के पश्चात् दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के तर्क मानने योग्य नहीं है। अति0 जिला कलेक्टर नागौर द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि उपखंड अधिकारी को संपरिर्वतन करने का अधिकार नहीं है जबकि उपखंड अधिकारी ने जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में विवादित भूमि का संपरिवर्तन किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत् रेफरेंस खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत रेफरेंस प्रार्थनापत्र को एतदद्वारा खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य